न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 01 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
मंगलाराम पुत्र देदाराम उम्र 76 वर्ष जाति मेघवाल निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर	1. शंकरलाल पुत्र गोकलाराम 2. राणाराम पुत्र रामजीराम 3. पदमाराम पुत्र देदाराम का.मु. 3/1खेताराम पुत्र पदमाराम 3/2गिराराराम पुत्र पदमाराम 3/3नखताराम पुत्र पदमाराम 3/4गखनी बेवा स्व. पदमाराम जाति मेघवाल निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर 3/5कमला पुत्री स्व. पदमाराम पत्नी हरूराम जाति मेघवाल निवासी विशाला तहसील व जिला बाड़मेर 3/6नीम्बू पुत्री स्व. पदमाराम पत्नी वीराराम जाति मेघवाल निवासी ढूढा तहसील व जिला बाड़मेर 4. स्व.मूलाराम पुत्र देदाराम का.मु 4/1किशनलाल पुत्र मूलाराम 4/2बन्नाराम पुत्र मूलाराम 4/3पारूदेवी पत्नी मूलाराम 5. वलाराम पुत्र दीपाराम का.मु. 5/1खेताराम पुत्र वालाराम 5/2भटाराम पुत्र वालाराम 5/3चौथी बेवा स्व. वालाराम जाति मेघवाल निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर 5/4मांगी पुत्री स्व. वालाराम पत्नी गेमराराम जाति मेघवाल निवासी दरूड़ा तहसील व जिला बाड़मेर 5/5कुशी पुत्री स्व. वालाराम पत्नी हडुमान जाति मेघवाल निवासी सियाणी तहसील रामसर जिला बाड़मेर 6. मैनेजर, थार आचलिक ग्रामीण बैंक शाखा महाबार, बाड़मेर 7. श्रीमान तहसीलदार महोदय, बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2010

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बअनवान शंकरलाल बनाम राणाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.04.2013 व रिव्यू आवेदन संख्या 1355/2017 में पारित संशोधित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.08.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री कैलाश एन. सारण अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री गणेशकुमार रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 29.08.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 2248/1815 रकबा 171.04 बीघा तथा खसरा संख्या 2251/1815 रकबा 05.14 बीघा कुल रकबा 176.18 बीघा का गौजा महादार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर में आया है इसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01(उतरदाता संख्या 01 व 02) का संयुक्त हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 2,3,4(अपीलांट व उतरदाता संख्या 03,04) का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 05(उतरदाता संख्या 05) का 1/3 हिस्सा है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त हिस्सा 1/3 में से वादी का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा घोषित करने तथा विभाजन करने हेतु दावा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी का बंटवाड़ा एवं घोषणा वाद में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.01.2013 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.08.2019 जो एकपक्षीय एवं अपीलांट की तरफ से मिथ्या कुटरचित अंगुष्ठ निशान से पेश इकवाली जबावदावा के आधार पर तथा कुल रकबा से अधिक भूमि का संशोधित निर्णय पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाड़मेर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को जो भूमि विभाजन प्रस्ताव में बरंग कबूतरी(आसमानी) रंग से दर्शित करके दी गई है वह कम उपजाऊपन की तथा रेतीली भूमि है तथा भूमि में आने जाने हेतु किसी प्रकार का रास्ता भी सड़क से नहीं रखा गया है जबकि रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 को ही सड़क के दोनों तरफ की कीमती भूमि दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई वो मौके पर कब्जा कांश्त के विपरित तैयार किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्तवा के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट के फर्जी अंगुष्ठ निशान से वकालतनामा एवं इकबाली जवाब पेश किया जो समस्त कार्यवाही छिपे तौर से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा करवाई गई तथा संशोधित निर्णय हेतु रिव्यू कार्यवाही में सम्मन तक जारी नहीं किये और एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय किया था जिसकी जानकारी पूर्व में अपीलांट को नहीं हो सकी परन्तु वर्तमान में लगभग 25 दिन पूर्व हल्का पटवारी अपीलांट को महावार ग्राम में मिले तब उन्होंने बताया कि अपीलांट के खेत का विभाजन एसडीओ कोर्ट के आदेश से हुआ है लेकिन निर्णय में त्रुटि रहने से म्यूटेशन एवं विभाजन कब्जा कास्त अनुसार तरमीम नक्शा में नहीं की गई तब अपीलांट को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो हल्का पटवारी से सम्पूर्ण जारी लेकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर समस्त प्रकरण कार्यवाही की नकले दिनांक 11.12.2019 को मांगी जो तैयार होकर दिनांक 18.12.2019 को प्राप्त हुई जिस पर अपीलांट को सर्वप्रथम आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.07.2011 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौके पर कब्जा कास्त के विपरित तैयार किया गया। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य लहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2010 दशरनदान शंकरलाल बनाम राणाराम वगै. व रिव्यू आवेदन संख्या 1355/2017 में पारित में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.04.2013 व संशोधित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.08.2019 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा सिंघानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर